कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145—2429971, 2429920
ईमेल आईडी :— ajmermc@gmail.com वेबसाईट :— www.ajmermc.org

क्रमांक :—RO(OR)/481 दिनांक :—18/7/19

पार्किंग हेतु ई—ऑक्शन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम अजमेर द्वारा निम्न पार्किंग स्थल का ठेका उसके सामने अंकित अवधि के लिए निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय से ऑनलाईन बोली द्वारा किया जावेगा।

अतः इच्छुक फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति स्मार्टराज की वेबसाईज पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर व निर्धारित दिनांक तक अमानत राशि जमा करा कर नीलामी में भाग ले सकता है। शर्ते व अन्य की जानकारी हेतु निगम कार्यालय दिवस व समय पर उपस्थित होकर राजस्व अन्यकर शाखा से एवं स्मार्टराज वेबसाईट का पता www.smartrajapp.urban.rajasthan.gov.in/eAuctionportal/home.do पर उपलब्ध है एवं निगम की वेबसाईट www.Ajmermc.org पर व State public Procurement Portal पर भी सूचना उपलब्ध है।

क्र. स.	पार्किंग स्थल का नाम	ठेका अवधि	अमानत राशि	न्यूनतम सरकारी बोली
	खाईलैण्ड मार्केट (पुराना फायर स्टेशन), अजमेर	दिनांक 01.08.2019 से 31.03.2020 (कुल आठ माह)	30,000/—	5,96,000/— प्रतिवर्ष

ई—ऑक्शन की दिनांक व समय	29.07.2019 को प्रातः11.00बजें से मध्यान 3.00बजे तक
अमानत राशि ऑनलाईन से जमा कराने की दिनांक व समय	22.07.2019 से 28.07.2109 को प्रातः11.00बजें से रात्रि 11.59 बजे तक

प्रमुख शर्तें :—

1. विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
2. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम, अजमेर में निहित होगा।
3. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
4. नीलामी शर्तो मे परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम अजमेर मे निहित रहेगें।
5. बोलीदाता को बोली पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए लगानी होगी जिसकी राशि शेष अवधि की आनुपातिक राशि जमा करानी होगी।

(मनीषा यादव)
राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम अजमेर

(अखिलेश पिपल)
उपायुक्त (प्रशासन)
नगर निगम, अजमेर

NIB code - ANN 1920 A0021

UBN - IS - ANN 1920 SS B00094

D:\Surendra ji\Ms Word File\Letters\sam joliya 17.docx

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

खाईलैण्ड मार्केट (पुराना फायर स्टेशन) अजमेर पर पार्किंग स्थल की वित्तीय वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए ई–नीलामी शर्तें:–

1) पार्किंग स्थल की ई–नीलामी का विवरण

पार्किंग स्थल का नाम	:– खाईलैण्ड मार्केट, (पुराना फायर स्टेषन), अजमेर
पार्किंग ठेका अवधि	:– वित्तीय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि
सरकारी बोली	:– 5,96,000
नीलामी की अमानत राशि	:– 30,000

2. ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर निम्न सूचना का बोर्ड लगाना होगा।
   (i) वसूल की जाने वाली दरों का विवरण।
   (ii) ठेकेदार का नाम व पत्ता मय मोबाईल नम्बर
   (iii) ठेकेदार के प्रतिनिधी का नाम
   (iv) पार्किंग पर बडे वाहन बस/ट्रक/आदि खडे नही करने की सूचना।
   (v) पार्किंग स्थल पर राजकीय वाहन/निगम कर्मचारी/पार्षद आदि के वाहन निःशुल्क खडे किये जायेंगे।
3. पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था, पानी, लाईट, स्टेशनरी की व्यवस्था एवं वाहनों की सुरक्षा की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
4. बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि नगद जमा करानी होगी।
5. पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जा सकेगा। 4X4 फुट का छायादार अस्थाई निर्माण किया जा सकता है।
6. प्रशासनिक कार्य हेतु इस स्थान की आवश्यकता होने पर उक्त स्थान पर पार्किंग नही की जा सकेगी। बिना कोई कारण बताये हुये उक्त ठेका निरस्त किया जा सकेगा। शेष अवधि की राशि बकाया दिनों के अनुपात में नियमानुसार लौटाई जायेगी।
7. वाहनों की पार्किंग शुल्क की दरे निम्नानुसार होगी जो 4 (चार) घटें के लिए मान्य होगी। जिसके लिए ठेकेदार द्वारा टोकन दिया जायेगा टोकन पर ठेकेदार को पूर्ण पता व टेलीफोन न0 अंकित करना होगा :–

(अ) कार/जीप	30/– रूपये (दो घंटे तक 15 रूपये ही शुल्क वसूल कर सकेगा।)
(ब) स्कुटर/मोटर साइकिल	10/– रूपये
(स) साइकिल	5/– रूपये

8. उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि ऑनलाईन/भौतिक (ऑफलाईन) रूप से पर जमा करानी होगी एवं शेष 3/4 राशि बोली स्वीकृति पश्चात् जमा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। राशि जमा नही कराने की दशा में ब्लेक लिस्टेड व कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
9. पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करनी होगी जिसे की यातायात में व्यवधान न हो।
10. बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार महापौर, आयुक्त नगर निगम अजमेर को होगा।
11. पार्किंग स्थल पर खडी गाडी के खोने/गुमने/चोरी होने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
12. विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
13. उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर की राशि जमा करानी होगी।
14. सफलतम् ठेकेदार को 50/– रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र इस आषय का देना होगा की नगर निगम अधिकारी /कर्मचारी /पार्षद से मेरा कोई रक्त संबंध नही है।
15. पार्किंग स्थल पर पूर्व में ही निर्मित किसी संरचना को नुकसान पहुचाएं जाने पर हानि का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
16. उच्चतम् बोलीदाता की अमानत राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 तक जमा रहेगी जिसे ठेका समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार लौटाई जायेगी।
17. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
18. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
19. ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही शुल्क वसूली कर सकेगा अन्यथा वसूली हेतु अधिकृत नही होगा।
20. पूर्व वितिय वर्षो मे किये गये पार्किंग ठेकें की किसी भी ठेकेदार की बकाया राशि होने पर उसे आगामी वितिय वर्ष के ठेके मे भाग नही ले सकेगा । सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ही ठेके मे भाग ले सकेगा।

लगातार

21. पार्किंग ठेका निम्नलिखित स्थिति में निरस्त किया जा सकेगा:–
(1) निर्धारित दरों से अधिक वसूली करने पर।
(2) व्यवसायिक गतिविधिया ठेले, केबिन आदि लगाने पर।

22. उपरोक्त शर्तो मे परिवर्तन / संशोधन करने का अधिकार महापौर / आयुक्त नगर निगम अजमेर मे निहित रहेंगें।

23. ठेकेदार का पूर्व वर्षो का कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति उपरान्त निगम आगामी वितिय वर्ष में निम्नतम 10 प्रतिशत एंव अधिकतम जो भी निगम प्रशासन प्रशासनिक निर्णय कर ठेका अवधी बढाई जा सकेगी।

24. नगर निगम, अजमेर द्वारा भविष्य में पार्किंग स्थल पर मरम्मत अथवा पुर्ननिर्माण कार्य करवाया जाता है तो संवेदक द्वारा आपत्ति नही की जाऐगी एवं उस अवधि का भुगतान संवेदक से नही लिया जायेगा।

25. बोलीदाता को बोली पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि की लगानी होगी जिसकी राशि शेष अवधि की आनुपातिक राशि जमा करानी होगी।

26. ठेकेदार / बोलीदाता को पूर्व के ब्लेक लिस्ट किये जाने की स्थिति में व बोलीदाता की तरफ परिषद् की कोई पूर्व राशि बकाया होने की स्थिति में बोली में शामिल नही किया जावेगा। बोलीदाता स्मार्टराज वेबसाईट पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात् ही ऑक्शन में हिस्सा ले सकेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय समस्त जानकारियां सही–सही भरे, अन्यथा रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जावेगा।

27. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्मार्टराज वेबसाईज में E-Auction पर जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने पर दी गई ई – मेल आई डी पर एक्टिवेशन लिंक आयेगा। जिस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा और दोबारा E-Auction पर जाकर रजिस्ट्रेशन के समय डाली गई ई–मेल आईडी व पासवर्ड से लॉगिन कर सकते है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वर्ष का शुल्क 1,000/– रूपये रखा गया है जो कि वापस देय नही होगा। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन के बाद My Profile में जाकर आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड व बैंक पासबुक की छाया प्रति अपलोड करनी होगी। बोलीदाता द्वारा जिस भी ऑक्शन के लिए अमानत राशि जमा कराई जावेगी, वह उसी ऑक्शन में बोली लगा सकेगा। अतः निर्धारित दिनांक तक अमानत राशि जरूर जमा करा दें। रजिस्ट्रेशन फीस व अमानत राशि ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनो ही तरीकों से जमा कराई जा सकेगी। परन्तु सरकारी अवकाश के दिवसों में केवल ऑनलाईन ही जमा की जा सकेगी। अमानत राशि जमा कराने के पश्चात् निर्धारित दिनांक को E-Auction में हिस्सा ले सकेंगे। ऑक्शन की शर्ते अपलोड की गई। ऑक्शन में हिस्सा लेने से पूर्व नीलामी शर्ते डाउनलोड कर अध्ययन जरूर कर लेवे। नगर निगम, अजमेर के किसी कर्मचारी पार्षद एवं इनके सगे संबंधी को बोली में शामिल नही किया जावेगा।

28. ई–ऑक्शन के नियमों के अनुसार नीलामी में बोली लगने के अंतिम समय से 20 मिनट पहले कोई भी बोली लगने पर ऑक्शन का समय हर बार 20 मिनट के लिए स्वतः ही बढ जावेगा। परन्तु दिए गए अंतिम समय से 20 मिनट पहले के अंतराल में कोई भी बोली नही लगने की स्थिति में ऑक्शन पूर्व निर्धारित समय पर समाप्त हो जाएगा। ई–ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया स्मार्टराज वेबसाईट पर ऑनलाईन ही सम्पन्न होगी। आवेदक उक्त रजिस्ट्रेशन व सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वयं के स्तर से या ई–मित्र की सहायता से कर सकता है। ऑनलाईन संबंधित किसी भी जानकारी व तकनीकी सहायता के लिए श्री ज्ञानचंद सैनी, प्रोग्रामर स्मार्टराज के मोबाईल नम्बर 9887169124, 7976037997 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम अजमेर